

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 75/2021

श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री धूल सिंह, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील ब्यावर,
जिला अजमेर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

रेस्पोंडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री समीर अहमद, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

—: आदेश :-

दिनांक-19.09.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2077 में श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री धूल सिंह, निवासी ग्राम गणेशपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम गणेशपुरा के आराजी खसरा नम्बर 8:9/453 कुल रकबा 05-05-00 बीघा किसम सडक सिवायचक/चरागाह भूमि में अनाधिकृत रूप से 6'X8' की केबिन लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 61/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.04.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की वेदखली व शारित कायम कर माँके पर उपलब्ध पत्थरों की नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.04.2021 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.04.2021 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अपीलान्ट ने उसी दिन जवाब प्रस्तुत किया



अपर कलक्टर
अजमेर

एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये गये। उन्होंने आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्त द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि 6'X8' लोहे की केबिन लगाई गई है। विवादित आराजी पर इससे पूर्व अपीलान्त के पूर्वजों द्वारा कांटे व छप्पारों की दुकान टाईप कच्ची केबिन बनाई हुई थी जो बारिश व अधिक पतझड़ होने के कारण गिर गई, जिसके पश्चात अपीलान्त द्वारा लोहे की केबिन स्थापित की गई जो किसी भी रूप में सड़क मार्ग में नहीं आती है। विवादित आराजी पर अपीलान्त के पूर्वजों का लगभग 100 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। पुराने कब्जे के आधार पर ही ग्राम पंचायत गणेशपुरा द्वारा उक्त कब्जेशुदा केबिन में विद्युत व जल कनेक्शन लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसके आधार पर केबिन में विद्युत व जल कनेक्शन लिया गया है। उनका कथन है कि विवादित आराजी में सड़क पर अलग-अलग स्थानों पर एवं अलग-अलग खसरा नंबरान पर कई व्यक्तियों को इस प्रकार का बूथ आवंटित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्रश्नगत आराजी को सिवायचक/चरागाह भूमि होना अंकित किया है जबकि भूमि सड़क व सड़क के पास की होकर राजस्व अभिलेख में सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है एवं तहसीलदार भू-धारक नहीं है। फलस्वरूप उन्हे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी से बेदखली की कार्यवाही किये जाने का विधि अन्तर्गत अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को बेदखल किये जाने का अविधिक आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी किया गया है एवं अपीलान्त का अपने पूर्वजों के समय लगभग 100 वर्षों से अधिक का कब्जा होने से अपीलान्त को बेदखल नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्त को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने बाबत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा सड़क की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से केबिन लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं आदेश पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व रेकॉर्ड में सिवायचक/चरागाह दर्ज नहीं होकर खातेदार सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नाम दर्ज है एवं तहसीलदार ब्यावर भू-धारक नहीं है। आराजी बाबत तहसीलदार, ब्यावर को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधि अन्तर्गत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.04.2021 निरस्त



अपर कलेक्टर
अजमेर

किया जाता है एवं अपील तहसीलदार ब्यावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख एवं तथ्यों के आधार पर पुनः परीक्षण कर अपीलान्त व सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के विवादित आराजी/क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर
अजमेर